हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY
श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)–246174
SRINAGAR GARHWAL (UTTARAKHAND) - 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
A CENTRAL UNIVERSITY

पत्रांकः– कु.स.का. / 2021 / 88

दिनांक 19 / 05 / 2021

कार्यालय आदेश

दिनांक 09.05.2021 को विश्वविद्यालय संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों की कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहुत ऑन लाईन बैठक में लिये गये निर्णयों एवं कुलपति महोदया के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों की कोविड–19 महामारी के कारण मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार की मदद हेतु एक आकस्मिक सहायता कोष गठन का निर्णय लिया गया एवं उक्त कोष के संचालन की व्यवस्था निर्धारण हेतु अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तदोपरान्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की दिनांक 11.05.2021 को आहुत बैठक में की गयी संस्तुतियों पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कोविड–19 महामारी के फलस्वरूप दिवंगत शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रभावित परिवारों की मदद हेतु निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाती हैः–

1. वर्तमान में वर्ष 2021 में कोविड–19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों / माननीय उच्च न्यायालय निर्णय से नियमित वेतन पाने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / अतिथि शिक्षकों / आउट सोर्स के आधार पर नियोज़ित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की दशा में प्रभावित पाल्यों / परिवार को सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यलाय द्वारा **"Teaching/Non-Teaching Employees Self Generated Emergency Relief Fund"** नाम से एक आकस्मिक सहायता कोष का गठन किया जाता है। जिस हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा इस कोष का एक बैंक खांता खोला जायेगा।
2. उक्त आकस्मिक सहायता कोष में धनराशि संचय हेतु वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय निर्णय से नियमित वेतन पाने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मई व जून 2021 के देय वेतन से एक–एक दिन के वेतन की धनराशि काट कर यह धनराशि उक्त आकस्मिक सहायता कोष के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
3. वेतन से धनराशि कटौती की उक्त व्यवस्था पूर्णतयाः स्वैछिक होगी एवं यदि बिन्दु 02 में वर्णित कोई भी नियमित शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारी उक्तानुसार आकस्मिक सहायता कोष में योगदान देना का इच्छुक ना हो तो वे इस आदेश निर्गत तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी असहमति लिखित रूप से कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बधित के वेतन से कटौती कर ली जायेगी।

धीमान
19/5/21

4. विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी नियमित शिक्षकों/नियमित अधिकारियों/नियमित कर्मचारी/माननीय उच्च न्यायालय निर्णय से नियमित वेतन पाने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारी/अतिथि शिक्षकों/आउट सोर्स के आधार पर नियोजित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कोविड–19 महामारी के कारण सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु की दशा में विश्वविद्यालय प्रशासन को सम्बन्धित कार्मिक का नियमानुसार वैध कोविड–19 पोजिटिव रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्बन्धित पत्र–जातों के परीक्षणोंपरान्त मृतक कार्मिक के व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा पुस्तिका में दर्ज पाल्यों/नामिती की सूचना को अधिष्ठातां छात्र कल्याण को प्रकरण के सम्बन्धित समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुसंशा हेतु अग्रसारित किया जायेगा। समिति की संस्तूति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित नियमानुसार अर्ह नामिती/पाल्यों को निर्धारित धनराशि का चैक निर्गत किया जायेगाः–

(अ) विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय निर्णय से नियमित वेतन पाने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परिवार को रू0 3,00000/– मात्र (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

(ब) विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों/आउट सोर्स के आधार पर नियोजित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परिवार को रू॰ 25000/– मात्र (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

5. उक्त आकस्मिक सहायता दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से अग्रेत्तर प्रभावी होगी।
6. उक्त आकस्मिक सहायता के अतिरिक्त मृतक शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पाल्यों को विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु प्रवेश लिये जाने की दशा में Tuition Fee की छूट प्रदान की जायेगी।

आज्ञा से,
कुलपति

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियंता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/निदेशक आई॰क्यू॰ए॰सी॰।
4. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
5. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/समस्त नियंत्रक अधिकारी।
6. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. जन सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी, उप कार्यालय देहरादून।
8. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।

(हस्ताक्षर) 19/5/21
कृते कुलसचिव

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰ / आर॰ओ॰ / 2021 /105 दिनांक : 12/06/2021

कार्यालय आदेश

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत आकस्मिक सहायता कोष गठन सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्याः कु॰स॰का॰ / 2021 / 88 दिनांक 19.05.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत सम्बन्धित कार्मिकों के दो माह के स्थान पर मात्र एक माह (मई 2021) के एक दिन के वेतन की धनराशि ही उक्त कोष में संचित की जायेगी। माह जून, 2021 के वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
कुलपति

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / नियंता / मुख्य छात्रावास अधीक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक (टिहरी / पौड़ी / चौरास) / निदेशक, आई॰क्यू॰ए॰सी॰।
4. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
5. संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / समस्त नियंत्रक अधिकारी।
6. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सोशल मीडिया चैंपियन / जन सम्पर्क अधिकारी / प्रभारी उप कार्यालय देहरादून।
8. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।

12/6/21
कृते कुलसचिव